



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1931 (श०)  
(सं० पटना 162) पटना, बृहस्पतिवार, 4 मार्च 2010

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचना  
25 फरवरी 2010

सं० I/एम-714/2009-522—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निबंधन विभाग की अधिसूचना सं०-एस.ओ.सं०-900, दिनांक 18 दिसम्बर 1990 से प्रकाशित फीस तालिका के अनुच्छेद-क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

“ अनुच्छेद-क —

(i) कृषि भूमि के विनिमय विलेख के निबंधन का शुल्क, जहाँ विनिमय सम्पत्ति का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक भिन्न न हो—

पूर्णतः विमुक्त।

(ii) अन्य प्रकार की भूमि/संपत्ति के विनिमय विलेख के निबंधन का शुल्क—

विनिमय के अंतर्गत वृहत्तर मूल्य वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर इस्तान्सारण लिखतों की तरह ”

2. यह तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के सचिव।

25 फरवरी 2010

सं I/एम<sup>1</sup>-714/2009-522-उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के सचिव।

*The 25th February 2010*

No. I/M<sup>1</sup>- 714/2009-522—In exercise of the powers conferred u/s 78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar makes the following amendment in Article- 'A' of the Table of fee notified vide S.O.No.-900, dated 18th December 1990: --

- "Article - 'A' - (i) Fee for registration of instrument of exchange of agricultural land, where the area of the exchange property those not vary by more than 25% - Fully exempted.
- (ii) Fee for registration of instrument of exchange of other kinds of land/property - As instrument of conveyance on the value based on market value of the property of greater value under exchange."

2. It shall come into force immediately.

By order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
Secretary to Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 162-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1931 (श०)  
(सं० पटना 161) पटना, गुरुस्वतिवार, 4 मार्च 2010

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचना  
25 फरवरी 2010

सं० I/एम<sup>1</sup>-714/2009-521—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 की धारा-3 के तीसरे परन्तुक [बिहार विहित अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-11, 2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-I-ए के अनुच्छेद संख्या-31 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं:-

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क
31	सम्पत्ति के विनिमय का लिखत— (क) कृषि भूमि के विनिमय के लिए, जहाँ विनिमय सम्पत्ति का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक भिन्न न हो	(क) पूर्णतः विमुक्त।
	(ख) अन्य मामलों में	(ख) वही शुल्क जो प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (सं०-23) की वास्तविक विनिमय के अंतर्गत बृहत्तर मूल्य वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आधारित हो।

2. यह तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के सचिव।

25 फरवरी 2010

सं० I/एम<sup>1</sup>-714/2009-521—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन तत्काल राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के सचिव।

*The 25th February 2010*

No. VM<sup>1</sup>- 714/2009-521—In exercise of the powers conferred by third proviso of Section-3 of the Indian Stamp Act, 1899 [as inserted by the Bihar Finance Act, 2001 (Act No.- 11 of 2002)] the Governor of Bihar is pleased to substitute Article No.-31 of Schedule-I-A of the Act as follows:—

Article No.	Description of Instrument	Proper Stamp duty
31	(a) Exchange of Property Instrument of- land, where the area of the exchange property those not vary by more than 25%	(a) Fully exempted.
	(b) In other cases	(b) Same duty as conveyance (No.-23) for consideration or market value, based on the market value of the property of greater value under exchange.

2. It shall come into force immediately.

By order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
Secretary to Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 161-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>